भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **310** जिसका उत्तर

मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 (30 आषाढ़, 1948, (शक)) को दिया जाना है

विझिंजम अंतरराष्ट्रीय पत्तन का स्वामित्व और संचालन मॉडल

310 श्री संदोष कुमार पी :

क्या पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार, केरल सरकार और रियायत लेने वाली निजी कंपनियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों सहित विझिंजम अंतरराष्ट्रीय डीपवॉटर बहुउद्देशीय पत्तन के स्वामित्व, रियायत और संचालन मॉडल का ब्यौरा क्या है;

(ख) रियायत समझौते की अवधि क्या है और राजस्व-साझाकरण तंत्र और समझौते के अंतर्गत प्रत्येक हितधारक की क्या जिम्मेदारियां हैं;

(ग) केंद्र सरकार, केरल सरकार और रियायत लेने वाली निजी कंपनियों द्वारा कुल कितना निवेश किया गया;

(घ) पत्तन से अनुमानित कार्गो हैंडलिंग क्षमता कितनी है, राजस्व और रोजगार के कितने अवसर संभावित हैं; और

(ङ) पत्तन के कार्यकरण में पारदर्शिता, विनियामक निगरानी और जनहित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ङ): केरल सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, विझिंजम अंतरराष्ट्रीय डीपवॉटर बहुउद्देशीय पत्तन केरल सरकार के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत एक गैर-महापत्तन है और इसे अदाणी विझिंजम पत्तन प्राइवेट लिमिटेड (एवीपीपीएल) के साथ एक

रियायत समझौते के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित किया गया है।

17 अगस्त, 2015 को निष्पादित रियायत समझौते में मूल रूप से 40 वर्ष की रियायत अवधि का प्रावधान था, जिसे निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्धारित क्षमता विस्तार करने पर आगे 20 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था। बाद में, 28 नवंबर, 2024 को निष्पादित अनुपूरक रियायत समझौते (एससीए) के माध्यम से, रियायत अवधि को सशर्त 45 वर्ष तक बढ़ा दिया गया।

केरल सरकार, रियायत के प्रशासन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है, जबकि रियायतग्राही, रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार पत्तन के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

भारत सरकार ने व्यवहार्यता अंतराल निधियन के रूप में ₹817.80 करोड़ प्रदान किए हैं। केरल सरकार ने परियोजना के संबंध में ₹3,764.55 करोड़ का व्यय किया है।

पत्तन के चरण-I की परिचालन क्षमता लगभग 1.6 मिलियन टीईयू प्रति वर्ष है, जबकि अंतिम नियोजित क्षमता 5.7 मिलियन टीईयू प्रति वर्ष है। जुलाई, 2024 में परीक्षण परिचालन शुरू होने के बाद से, पत्तन ने ₹700 करोड़ से अधिक का राजस्व सृर्जित किया है और पत्तन परिचालन और रखरखाव में लगभग 800 कर्मियों को सीधे रोजगार दिया गया है।

केरल सरकार, रियायतदाता प्राधिकरण के रूप में, रियायत समझौते के प्रावधानों का रियायतग्राही द्वारा अनुपालन की निगरानी करती है और यह अपने संविदात्मक दायित्वों को लागू करने के लिए सशक्त है। समझौते में लेखाओं के रखरखाव और इनकी लेखापरीक्षा, परियोजना राजस्व के सत्यापन, एस्क्रो खाते का संचालन और निर्धारित प्रदर्शन मानकों की निगरानी का प्रावधान है। विशेष रूप से, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र इंजीनियर पत्तन निर्माण और रखरखाव का पर्यवेक्षण करता है।
